ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, रा.कृ. पुरम, नई दिल्ली-110066

सत्यमेव जयते

ENERGY IS LIFE BEE CONSERVE IT

कृपया ध्यान दें: 11 अधिसूचित क्षेत्रों में विद्युत उपयोगकर्ता

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) के अंतर्गत निर्दिष्ट उपभोक्ताओं द्वारा खपत किए गए ऊर्जा की स्थिति पर रिपोर्ट की प्रस्तुति

निम्नांकित ऊर्जा सघन उद्योगों के समक्ष प्रदर्शित निर्दिष्ट सीमा के या उसके ऊपर के वार्षिक ऊर्जा खपत करने वाले निम्नांकित ऊर्जा सघन उद्योगों के सभी उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता की श्रेणी, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ई) के अंतर्गत एस.ओ. 394(ई) दिनांक 12 मार्च, 2007 एवं एस.ओ. 3542 दिनांक 29 दिसम्बर 2015 के जरिए निर्दिष्ट उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किए जाते हैं।

क्र.सं.	अधिसूचित क्षेत्र	तेल के बराबर मीट्रिक टन(एमटीओई) में सीमा ऊर्जा की खपत प्रति वर्ष
1.	थर्मल पावर स्टेशन्स	30,000
2.	फर्टिलाइजर	30,000
3.	सीमेंट	30,000
4.	ऑयरल एवं स्टील	30,000
5.	क्लोर-अल्कली	12,000
6.	अल्युमिनियम	7,500
7.	टेक्सटाइल	3,000
8.	पल्प एवं पेपर	30,000
9.	पेट्रोलियम रिफाइनरीज	90,000
10.	विद्युत वितरण कम्पनियां रेलवे	86,000*
11.	रेलवे	
	(क) सभी जोनल रेलवे (ट्रैक्सन)	70,000
	(ख) कार्यशाला	30,000
	(ग) रेलवे के 6 उत्पादन करने वाली फैक्ट्री यानी आईसीएफ, आरसीएफ, सीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू, आरडब्ल्यूएफ	

[* डीआईएससीओएम के ऊर्जा खपत के समस्त तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटा (एटीएंडसी) के कुल के बराबर समझा जाएगा, जो 1000 मिलियन केडब्ल्यूएच के बराबर होगी]

एस.ओ. 687(ई) दिनांक 30 मार्च 2012 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना के तहत शामिल है, के अलावा सभी निर्दिष्ट उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे ऊर्जा प्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (1) के तहत अधिसूचित प्रपत्र 1 में विगत दो वर्षों नामतः 2013-14 एवं 2014-15 हेतु अपने वार्षिक उत्पादन के साथ वार्षिक ऊर्जा खपत की स्थिति पर रिपोर्ट, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को एक प्रति के साथ संबंधित निर्दिष्ट एजेन्सी के पास जमा करें।

अपेक्षित क्षेत्रवार प्रपत्र 1 की प्रति को बीईई वेबसाइटः **www.beeindia.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति 26 फरवरी 2016 तक वार्षिक खपत इत्यादि की स्थिति पर रिपोर्ट जमा करने में असफल होता है तो वह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के खंड 26 के अंतर्गत जुर्माना किया जाएगा।

अधिक सूचना/पूछताछ हेतु कृपया 011-26179699 पर सम्पर्क करें या **newdc@beenet.in** पर मेल भेजें।

मिशन निदेशक
एनएमईई

डीएवीपी 34106/13/0158/1516

HT-Delhi 9/2/16